



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खंड (ii)
PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 104] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 5, 1979/फाल्गुन 14, 1900
No. 104] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 5, 1979/PHALGUNA 14, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

उद्घाटन मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक, 5 मार्च, 1979

का.आ. 124(अ)/18एफ.बी./आई.बी.आर.ए./79.—यस: भारत सरकार के उद्घाटन मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं. का. आ. 112(अ)/18क/आई.बी.आर.ए./79 तारीख 26 फरवरी, 1979 द्वारा मैसर्स ब्रिन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (प्रा.) लिमिटेड कलकत्ता (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन 25 अगस्त, 1979 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छः महीने की अवधि के लिए प्रहण कर लिया गया है।

1267 GI/78

(223)

और यतः, केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम के संबंध में, अनुसूचित उद्योग अर्थात् विद्युत् उद्योग में उत्पादन के परिमाण में कमी को रोकने की दृष्टि से, जन साधारण के हितों में ऐसा करना आवश्यक है।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 18 च ख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि इस आदेश के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तारण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखितों का (उनमें भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से सम्बन्धित हैं) प्रवर्तन, जिनका उक्त औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक उपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है, या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों 25-8-79 की अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रावभूत या उद्भूत वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार बाधताओं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे।

[फ. सं. 5/14/78-सी.यू.सी.]

आर. एन. चोपड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th March, 1979

S.O. 124(E)/18FB/IDRA/79.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. 112(E)/18AA IDRA/79 dated the 26th February, 1979, the management of the industrial undertaking known as Messrs Brentford Electric (India) Limited, Calcutta (hereinafter referred to as the said industrial undertaking), has been taken over under clause (a) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of six months upto and inclusive of the 25th August, 1979;

And whereas the Central Government is satisfied that in relation to the said industrial undertaking it is necessary so to do in the interests of the general public with a view to preventing fall in the volume of production of the scheduled industry, namely, electrical industries;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the said Act, the Central Government hereby declares that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders, or other instrument in force immediately before the date of issue of this Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the said industrial undertaking or the company owing such industrial undertaking is a party of which may be applicable to such industrial undertaking or company shall remain suspended for a period upto the 25th August, 1979 and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period.

[F. No. 5/14/78-CUC]

R. N. CHOPRA, Jt. Secy.